

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर  
(भारत सरकार द्वारा संस्थापित)  
माधव विलास पैलेस  
आमेर रोड, जयपुर-302002 (राजस्थान)  
(रसायनशाला)  
निविदा प्रपत्र

राशि : 500/- नगद/डी.डी.

क्रमांक :

दिनांक :

प्रेषक फर्म का नाम व पता : .....  
.....  
.....

प्रेषित :

निदेशक  
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,  
जयपुर ।

विषय : आयुर्वेदिक जड़ी बूटी / कच्ची औषधियों की आपूर्ति हेतु निविदा ।

महोदय,

विज्ञापन के संदर्भ में संस्थान रसायनशाला हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों/कच्ची औषधियों की आपूर्ति हेतु अपना निविदा प्रपत्र प्रेषित कर रहे हैं ।

(1) निविदा के लिये आवश्यक धरोहर राशि जमा करवाने संबंधी विवरण निम्न प्रकार है :-

अ. डिमाण्ड डाफ्ट क्रमांक ..... दिनांक..... राशि  
..... बैंक का नाम..... निदेशक,  
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम संलग्न है ।

ब. रसीद संख्या ..... दिनांक ..... राशि ..... नगद  
संस्थान में जमा करा दी गई है ।

(2) निविदादाता को अपनी निविदा के साथ पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति, आयकर एवं बिक्रीकर/ GST चुकता प्रमाण पत्र साथ लगाना अनिवार्य है।

(3) निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त मानी जावेगी।

(4) निविदा में वर्णित औषधि के आगे अंकित दर दिनांक 31.03.2019 तक मान्य होगी ।

- (5) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावें । दरों में कोई त्रुटी (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें । कांट -छाँट या ऊपर लेखन को सही रूप से अंको एवं शब्दों दोनो में लिखकर निविदादाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने होंगे। **टेक्नीकल बिड एवं फाईनेन्सीयल बिड पृथक-पृथक लिफाफे में पैक कर एक ही लिफाफे में डाला जावे।** लिफाफे पर “ **Tender for Raw drugs for Rasayanashala, NIA, for year 2018-19**” लिखा होना आवश्यक हे ।
- (6) निविदा स्वीकृत होने पर 500/- रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र की पूर्ति संस्थान में प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।
- (7) समस्त आपूर्ति मय कर व ड्यूटी सहित एफ.ओ.आर. संस्थान में होगी ।
- (8) स्वीकृत निविदादाता की आदेशित मुल्य की 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि बिल से काटकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा तथा काटी गई सिक्क्यूरिटी राशि गारन्टी अवधि के पश्चात फर्म को वापस लौटा दी जावेगी ।सवीकृत निविदादाता की जमा धरोहर राशि सन्तोषप्रद सप्लाई करने एवं 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि काटने के पश्चात वापस लौटा दी जावेगी ।
- (9) सप्लाई किये जाने वाली औषधियों के सील्ड नमूने पृथक से एक सील्ड पैकेट/कार्टन में देना अनिवार्य है। प्रत्येक औषधी के नमूने पर क्रम संख्या, औषधी का नाम, फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मौहर लगाना भी अनिवार्य है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें।
- (10) निविदा में औषधियों की दरें, टेक्स आदि विवरण के साथ मार्क या मेक हो तो वह भी स्पष्ट रूप से अंकित करें। निविदादाता को नियमानुसार जीएसटी/ टेक्स/ अन्य सरकारी कर अतिरिक्त रूप से देय होगा । अतः दरों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से जीएसटी/ टेक्स/ अन्य सरकारी कर की दरें भी अंकित करना आवश्यक होगा। समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित टेक्स दरें लागू होने पर संस्थान द्वारा देय होगा।
- (11) निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा जो सभी फर्मों को मान्य होगा।
- (12) संस्थान न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा । संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (13) यदि कोई वस्तु संस्थान की क्रय समिति द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है तो उसे तत्काल संस्थान परिसर से हटा लिया जावेगा, न हटाने की स्थिति में माल खोने, टूटने-फूटने या अन्य किसी प्रकार की हानि होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

- (14) संस्थान को सामान की सप्लाई करते समय रास्ते में होने वाली टूट-फूट या हानि की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी ।
- (15) आवश्यकतानुसार वस्तु की मात्रा को कम या अधिक करने का अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा । क्रय आदेश में अंकित निर्धारित अवधि में सामान सप्लाई करना होगा । निर्धारित अवधि के पश्चात् सप्लाई करने पर संस्थान माल लेने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा यदि कोई हानि होती है तो उसका भुगतान दोषी फर्म से वसूला जावेगा
- (16) निविदा के आधार पर स्वीकृत दरे दिनांक 31.03.2019 तक प्रभावी मानी जावेगी । निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्वीकृत दरों पर आपूर्ति करवाने हेतु अगले 6 माह के लिये अनुबन्ध के समय में वृद्धि करने का एकल अधिकार होगा, जो निविदादाता को मान्य होगा ।
- (17) विलम्ब से माल सप्लाई करने पर संस्थान को माल स्वीकृत करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढ़ाने का अधिकार श्रीमान निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा । फर्म द्वारा विलम्ब से सप्लाई किये गये सामान के स्वीकृत होने की स्थिति पर निम्न प्रकार लिक्विडिटी डेमेजेज (पेनल्टी) का भुगतान करने के लिये फर्म बाध्य होगी :-
- (अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर कीमत का 5 प्रतिशत ।
- (ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 1 माह तक) विलम्ब पर कीमत का 10 प्रतिशत ।
- (स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर / बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा एवं मूल्य का अन्तर आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत शास्ती पृथक से वसूली जावेगी ।
- (18) फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी । यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नहीं किया जाता है तो निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत/सिक्क्यूरिटी राशि जम्मा करने का अधिकार होगा ।
- (19) संस्थान के द्वारा पत्र के साथ प्रसारित शर्तों को हम स्वीकार करते हैं और उनका पालन करने को बाध्य है ।
- (20) (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।
- (ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।

(21) सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम .....

पता/दूरभाष .....

.....

.....

(रबड़ की मोहर लगावें)

**राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर**  
(भारत सरकार द्वारा संस्थापित माधव विलास पैलेस  
आमेर रोड़, जयपुर-302002 (राजस्थान)  
(रसायनशाला)  
**निविदा शर्तें**

1. संस्थान रसायनशाला के उपयोग हेतु संलग्न सूची की जड़ी बूटियों/कच्ची औषधियों (आयुर्वेदिक) क्रय की जानी है जिसके लिये आमंत्रित निविदा की अनुमानित लागत धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क उनके सम्मुख अंकितानुसार होगी :-

क्र.स.	नाम वस्तु	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	कच्ची औषधियाँ (आयुर्वेदिक)	Rs. 1,78,00,000/-	Rs. 3,56,000/-	रु.500/- नगद/डी.डी

2. निविदायें विहित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जायेगी। आवेदन करने पर निविदा प्रपत्र संस्थान कार्यालय से निर्धारित शुल्क रु.500 नगद/डी.डी जमा कराने पर दिनांक 30.01.19 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। टेण्डर फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। टेण्डर फार्म का मूल्य रु. 500/- व धरोहर राशि के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट (अलग - अलग) संस्थान में भिजवाये जाने पर ही टेण्डर फार्म स्वीकार किया जावेगा।
3. निविदाएं मुहरबन्द लिफाफे में संस्थान कार्यालय में दिनांक 30.01.19 सांय 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा होनी होगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। **टेक्नीकल बिड एवं फाईनेन्सीयल बिड पृथक-पृथक लिफाफे में पैक कर एक ही लिफाफे में डाला जावे।** लिफाफे पर “ **Tender for Raw drugs for Rasayanashala, NIA, for year 2018-19**” लिखा होना आवश्यक है। सप्लाई किये जाने वाली औषधियों के सील्ड नमूने **पृथक से एक सील्ड पैकेट/कार्टन में** देना अनिवार्य है। प्रत्येक औषधी के नमूने पर क्रम संख्या, औषधी का नाम, फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगाना भी अनिवार्य है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 31.01.19 को प्रातः 11.00 बजे क्रयसमिति द्वारा रसायनशाला में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष पहले टेक्नीकल बिड खोली जावेगी एवं सफल निविदादाताओं की फाईनेन्सीयल बिड बाद में खोली जावेगी, जिसकी सूचना निविदादाताओं को पृथक से दे दी जावेगी।
4. धरोहर राशि “निदेशक”, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के नाम बने बैंक ड्राफ्ट या नगद संस्थान कोष में जमा करानी होगी। धरोहर राशि के लिए चैक मान्य नहीं होंगे। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर, असफल निविदादाताओं की जमा धरोहर राशि को वापस लौटा दिया जावेगा। सफल निविदादाताओं द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि को उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रतिभूति राशि (सिक्क्यूरिटी राशि) में समायोजित किया जा सकेगा।

6. सफल निविदाताओं को रुपये 500/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थान को प्रस्तुत करना होगा ।
7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावें । दरों में कोई त्रुटी (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें । कांट-छाँट या ऊपर लेखन को सही रूप से अंको एवं शब्दों दोनो में लिखकर निविदादाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने होंगे।
8. स्वीकृत निविदादाता की आदेशित मूल्य की 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि बिल से काटकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा तथा काटी गई सिक्क्यूरिटी राशि गारन्टी अवधी के पश्चात फर्म को वापस लौटा दी जावेगी ।स्वीकृत निविदादाता की जमा धरोहर राशि सन्तोषप्रद सप्लाई करने एवं 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि काटने के पश्चात वापस लौटा दी जावेगी ।
9. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शर्तों में यदि कोई परिवर्तन किया जावेगा/शर्तों के अधीन आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जावेगा । निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की अवस्था में संस्थान को निविदादाता को धरोहर/अमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा एवं इससे भी शर्त के उल्लंघन से हुई हानि की पूर्ति नहीं होने पर शेष हानि की पूर्ति निविदादाता की चल-अचल सम्पत्ति से की जावेगी । फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।
10. **निविदादाता को अपनी निविदा के साथ पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति, आयकर एवं बिक्रीकर/ GST चुकता प्रमाण पत्र साथ लगाना अनिवार्य है ।** जिसके अभाव में निविदा अमान्य की जा सकती है ।
11. सामान की दरें स्पष्ट रूप से माप, तोल या संख्या तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी । निविदा में दरें शुद्ध, स्पष्ट एवं अन्तिम रूप से बट्टे आदि की राशि कम करते हुए दर्शानी होगी एवं कर यदि कोई देय है तो अलगसे अंकित करने होंगे ।
12. निविदा स्याही से भरनी होगी तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने होंगे । दरों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जावें । कांट-छाट या संशोधन को सही रूप से लिखकर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया जाना चाहिये ।
13. निविदा में औषधियों की दरें, टेक्स आदि विवरण के साथ मार्क या मेक हो तो वह भी स्पष्ट रूप से अंकित करें।
14. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा जो सभी फर्मों को मान्य होगा।
15. संस्थान न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा । संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

16. सामान प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी की इस संबंध में किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा। माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
17. माल की आपूर्ति के समय रास्ते में होने वाली समस्त प्रकार की टूट-फूट, खोने आदि से होने वाली हानि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
18. चूंकि क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नहीं होगा।
19. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा।
20. सामान की आपूर्ति क्रय आदेश में अंकित निर्धारित अवधि में करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढ़ाने का अधिकार श्रीमान निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। विलम्ब से प्राप्त माल को पेनल्टी सहित स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा। विलम्ब से माल को संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर फर्म से निम्नानुसार पेनल्टी वसूल की जावेगी :-
  - (अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर कीमत का 5 प्रतिशत।
  - (ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 1 माह तक) विलम्ब पर कीमत का 10 प्रतिशत।
  - (स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा एवं मूल्य का अन्तर आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत शास्ती पृथक से वसूली जावेगी।
21. आदेशित माल की आपूर्ति समय पर नहीं करने पर संस्थान को अन्य फर्म से माल क्रय करने का अधिकार होगा एवं इससे संस्थान को हुई हानि की पूर्ति प्रथम एवं द्वितीय आदेशित फर्म की धरोहर राशि/अमानत राशि एवं अन्य उपलब्ध स्रोतों से यथा चल, अचल सम्पत्ति आदि से करने का संस्थान को अधिकार होगा।
22. निविदा में अंकित दर 31.03.2019 तक ही प्रभावी मानी जावेगी तथा निविदादाताओं को 31.03.2019 तक अंकित दरों पर आदेश मिलन पर सामान की आपूर्ति करनी होगी। निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्वीकृत दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध की अवधि अगले छः माह तक बढ़ाने का एकल अधिकारी होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।
23. क्रय हेतु आदेशित फर्म के द्वारा आपूर्ति किये गये माल में से क्रय समिति द्वारा छंटनी कर निर्णय लिये जाने की स्थिति से संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म से श्रमिक व्यय लिया जावेगा। अतः संबंधित फर्म नमूने के अनुरूप ही पूर्ति सुनिश्चित करें।
24. निविदा प्रपत्र में समस्त प्रपत्रों पर निविदादाता फर्म के मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर आवश्यक है।
25. संस्थान द्वारा दिये गये क्रय आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कच्ची औषध की आपूर्ति आवश्यक रूप से की जावे अन्यथा नियमानुसार कटौती/पैनल्टी निविदा शर्तों के अनुसार की जावे।

26. वस्तु /औषध मूल्य पर पृथक से मांग किए जाने वाले करों की दर स्पष्ट रूप से दरों के साथ उल्लेख की जावें ।
27. एक वस्तु/औषध की एक से अधिक बार Non supply एवं Late supply पर प्रत्येक बार शास्ती लागेगी ।
28. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।
- (ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
29. सभी विवादों के निपटारें हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

**उप निदेशक (प्रशासन)**

मैंने /हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों की पालना हेतु बाध्य हूँ/हैं ।

**हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर**

**(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)**